(c) the number of letters in respect of which final replies were sent; and

(d) the break-up of final letters issued by his Ministry containing positive and negative replies respectively?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF MINES (SHRI BALRAM SINGH YADAV): (a) 243.

(b) 241.

(c) and (d) 160 letters were replied indicating the factual position.

Copper Deposit Areas in Orissa

5712. SHRI RAHASBIHARI BARIK: Will the Minister of MINES be pleased to state:

(a) the details of the copper deposit areas in Orissa;

(b) whether Government have taken steps for the exploration of copper in those areas; and

(c) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF MINES (SHRI BALRAM SINGH YADAV): (a) Copper and bearing areas are Kesarpur-Kusumbari in Mayurbhanj distrsict and Adash area in Sambalpur district, Orissa.

(b) and (c) Yes, Sir. As a result of survey and exploration carried out by Geological Survey of India (GSI) in Kesarpur-Kusumbari areas, a total reserve of 2.16 million tonnes of copper ore with 1.54% copper at a cut off of 0.8% copper has been established.

In Adash area, a probable reserve of 0.93 million tonnes with an average grade of 1.46% Cu at 0.8% Cu cut off have been estimated. In addition to this, an additional probable reserve of 0.17 million tonnes with an average grade of 0.66% Cu at 0.8% Cu cut off has been estimated.

गुजरात में खनिजों के भंडार

5713. **श्री चिमनभाई हरिभाई शुक्ल:** क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कच्छ, बनासकांठा, साबरकांठा और सौराष्ट्र में खनिजों के बहुत मूल्यावान भंडार हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव): (क) सरकार को यह जानकारी है कि लाइमस्टोन, बॉक्साइट, लिग्नाइट, जिप्सम, बेंटोनाइट, चिकनी मिट्टी और आधार धातु (सीसा-जस्ता-तांबा) अयस्क जैसे मूल्यवान खनिजों के भण्डार कच्छ, बनासकांठा, साबरकांठा और सौराष्ट्र में स्थित हैं।

(ख) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जी०एस०आई०) ने आवधिक बैठकों के माध्यम से राज्य सरकारों को खनिज की प्राप्ति की जानकारी दी है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

खनिज संसाधनों का दोहन

5714. **श्री सत्य प्रकाश मालवीय:**
श्री अनन्त राम जायसवाल:

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने खनिज संसाधनों के दोहन और भूविज्ञान के क्षेत्र में सहयोग के लिए किसी सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किये हैं; यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और किन देशों के साथ किस आधार पर हस्ताक्षर किये गये हैं;

(ख) क्या सरकार ने खनिज संसाधनों के दोहन तथा भूवैज्ञानिक क्षेत्र में कार्य हेतु संभावित क्षेत्रों/राज्यों का कोई सर्वेक्षण किया है; और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस क्षेत्र में कार्य कब तक शुरू किए जाने की संभावना है और इस पर कुल कितना खर्च होगा एवं इस कार्य पर कितना समय लगेगा तथा होने वाले कुल खर्च में प्रत्येक संलग्न देश का कितना-कितना हिस्सा होगा?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव): (क) भारत सरकार ने 18 जनवरी, 1993 को जनवादी चीन की सरकार के साथ और 18 अप्रैल, 1995 को वियतनाम की सामाजवादी गणतंत्र सरकार के साथ भूविज्ञान और खनिज संसाधनों के क्षेत्र में सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत सरकार ने 11 अक्तूबर, 1994 को फ्रांस सरकार के साथ खनिज गवेषण और विकास में सहयोग के लिए एक प्रोटोकोल पर भी हस्ताक्षर किए हैं।

चीन की सरकार के साथ अहयोग की प्रकृति में यह परिकल्पित है कि (क) वैज्ञानिकों, विशेषज्ञों और प्रतिनिधियों का आदानप्रदान हो और कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया गया। (ख) कार्यशालाओं, सेमिनारों और संगोष्टियों का संयुक्त रूप से आयोजन किया जाए। (ग) प्रकाशित वैज्ञानिक और तकनीकी सूचनाओं, भूवैज्ञनिक प्रकाशन नमूना और मानक नमूनों इत्यादि का आदान प्रदान और (घ) अन्य दूसरे सहयोग जिनपर दोनों पार्टियों की सहमति हो।

फ्रांस के साथ हस्ताक्षरित प्रोटोकोल से निम्नलिखित परियोजनाएं परिकल्पित हैं (क) भू-आंकड़ा प्रबंध पद्धति और भू-भौतिक और भू-रसायन आंकड़े और उपगृह अनुमान पर नक्शे बनाने के लिए बहु-उद्देशीय कम्पयूटर की स्थापना (ख) धातु और अयस्क भण्डारों के अध्ययन के लिए केन्द्र बनाना (ग) प्लेटनियम ग्रुप उपकरण और एमराल्ड के गवेषण के लिए तकनीकी सहायता (घ) हिन्दुस्तान जिंक लि० के प्रचालनों के धातुकर्म कार्यनिष्पादन को सुधारने के लिए प्लावन पैरामीटरों के इष्टतम बनाने में सहायता (ङ) प्राकृतिक आपदाओं के आंकलन में सहायता (च) विभिन्न क्षेत्रों में भारतीय भूवैज्ञानिकों के लिए प्रशिक्षण (छ) नीलाम्बर घाटी, केरल में प्लेसर स्वर्ण भंडारों के लिए गवेषण में तकनीकी सहायता। इन परियोजनाओं को भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण आदि भारतीय अभिकरणों द्वारा फ्रांस के बी०आर०जी०एम० जैसे संगठन की सहातया से आरंभ किया जायेगा।

वियतनाम के साथ एमओयू में सहयोग के लिए सूचीबद्ध विभिन्न क्षेत्र हैं (क) खनिज गवेषण भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, खनिज गवेषण के विभिन्न चरणों में सहायता देगा (भूभौतिकी और भूरसायन गवेषण और बेधन) और वियतनाम के भूवैज्ञनिकों को भूविज्ञान के विभिन्न क्षेत्र में प्रशिक्षण भी उपलब्ध करायेगा। (ख) खनिज प्रक्रिया और विकासः भारतीज खान ब्यूरो अयस्क निकाय परिष्करण और कम्प्यूटरीकृत तकनीक का प्रयोग करके अयस्क निक्षेपों के आकलन में सहायता देगा (ग) वियतनाम में एक एल्यूमिनियम प्रगालक की स्थापना (घ) वियतनाम में खान और खनिज संसाधनों में संयुक्त उद्यमों की स्थापना और (ङ) वियतनाम में पेकलांग में स्वर्ण निक्षेप के विकास और खोज में संयुक्त उद्यम की स्थापना।

(ख) और (ग) संभावित क्षेत्र में भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण भारतीय खनिज गवेषण निगम और राज्य के खनन और भूविज्ञान निदेशालय द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रम के अन्तर्गत किया जाता है। उत्तर के भाग (क) में सूचीबद्ध करारों के अन्तर्गत कोई दूसरा देश प्रत्यक्ष सर्वेक्षण अथवा विदोहन क्रियाकलाप या इस संबंध में कोई व्यय नहीं करेगा।

Revision of Royalty rate of Minerals

5715. SHRI SARADA MOHANTY:
SHRI RAHASBIHARI BARIK:

Will the Minister of MINES be pleased to state:

(a) the criterion/procedures laid down for the revision of royalty rate of the major minerals;

(b) when was the last revision made in respect of major minerals in Orissa, Bihar, West Bengal and other States;

(c) the expected date of the next revision of the royalty rate of the major minerals; and

(d) the details thereof?

THE MINISTERS OF STATE OF THE MINISTRY OF MINES (SHRI BALRAM SINGH YADAV): (a) Section 9(3) of the Mines and Minerals (Regulation and Development) Act, 1957 provides that the Central Government may, by notification in the Official Gazette, amend the Second Schedule so as to enhance or reduce the rate at which royalty shall be payable in respect of any mineral with effect from such date as may